

अनुलग्नक I

अनुदान का दावा करने हेतु प्रमाणपत्र का फार्मेट
(हार्ड कॉपी सिडबी को जमा करना है)

ऋण देने वाली संस्था का नाम:

(राशि रुपए में)

02 नवंबर 2018* को अथवा उसके पश्चात नया अथवा वृद्धिकारी निधि सहायता			ब्याज छूट की दावा की गई राशि		
एमएसएमई (निर्माण)	एमएसएमई (सेवा क्षेत्र)	कुल	एमएसएमई (निर्माण)	एमएसएमई (सेवा क्षेत्र)	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*इसकी गणना प्रारंभिक शेष राशि के बीच अंतर पर की जा सकती है, अर्थात् 01 नवंबर 2018 को शेष मूल और जमा ब्याज के बीच के अंतर द्वारा गणना की जाती है।

नोट:

- मीयादी ऋण और कार्यशील पूँजी खाते के लिए आंकड़े अलग से तैयार किया जाए।
- एनपीए खाते अलग किये जाए क्योंकि जिस अवधि के लिए खाता एनपीए रहता है उस दौरान कोई ब्याज सबवेंशन मान्य नहीं होगा।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि स्वीकृत नये अथवा वृद्धिशील कार्यशील पूँजी/ वृद्धिशील/ नये संवितरित ऋण और उसके पश्चात दावा किये गए ब्याज अनुदान की उपर्युक्त राशि की गणना सही से की गई है और सिडबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार है। हम घोषणा करते हैं कि बाद के लेखा-परीक्षण अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा किसी प्रकार की गलती का पता चलता है तो हम पात्रता से अधिक प्राप्त राशि तत्काल सिडबी को लौटा देंगे।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

स्थान और तिथि

हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने राशि, वृद्धिशील/ नये ऋण, प्रभारित ब्याज और दावा की गई राशि के संबंध में व्यक्तिगत खातों की जांच कर ली है।

वैधानिक लेखा-परीक्षक का हस्ताक्षर

स्थान

तिथि

प्रमाणपत्र लेखापरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और आईसीएआई के साथ उसका सदस्यता क्रमांक दर्शाया जाना चाहिए।

कृपया नोट करें कि यह प्रमाणपत्र ऋण देने वाली संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा उचित तरीके से प्रमाणित किये जाने के पश्चात प्रस्तुत किया गया हो और इसके साथ ऋण देने वाली संस्था के उचित व्यवहार संहिता और आंतरिक तथा/बाह्य रेटिंग सहित ब्याज दर चार्ट की प्रति दावे के साथ संलग्न करें।